

20.10.2023—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी अनुपरिथतं। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपरिस्थ नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपरिस्थ नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



*(Handwritten Signature)*

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डधिकारी